भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4582

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

पेद्दापल्ली जिले के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क

†4582. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेद्दापल्ली जिला मुख्यालय में वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधा संपर्क का अभाव है जिससे क्षेत्रीय विकास, गतिशीलता और आर्थिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय पेद्दापल्ली को रामागिरी और मुत्थरम से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड राजमार्ग से जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच करेगा और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राजीव राजमार्ग (राज्य राजमार्ग)-1 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार किया गया है; और

(घ) राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और क्या एसएच-1 इन मानदंडों को पूरा करता है और पेद्दापल्ली जिले के लोगों के लिए राजमार्ग संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले में एनएच-163जी (नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर का हिस्सा) का मंचेरियाल-वारंगल खंड, जो रामागिरी और मुत्थरम से होकर गुजरता है, लगभग 38 किलोमीटर लंबाई का है। पेद्दापल्ली जिला मुख्यालय को एनएच-163जी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, पेद्दापल्ली-मंथानी राज्य सड़क एनएच-163जी से जुड़ी हुई है और इसमें एक इंटरचेंज का प्रावधान है, जो एनएच-163जी और पेद्दापल्ली जिला मुख्यालय के बीच सीधी संपर्कता प्रदान करेगा।

(ग) और (घ) राज्य राजमार्ग-1 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हैदराबाद-करीमनगर-रामागुंडम सड़क (एसएच-1) नामक एक मौजूदा पीपीपी परियोजना है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है और जिसकी रियायत अवधि 2041 तक है।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित करने/उन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर समय-समय पर राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने के निर्णय लिए जाते हैं।
